

**राजस्थान सरकार**  
**स्वायत्त शासन विभाग**

(जी-३ राजमहल रेजिडेंसी एरिया सिविल लाईंस फाटक, 22 गोदाम, सी-स्कीम, जयपुर 302015)

क्रमांक:— SPL-1

दिनांक:— 09.04.2020

आयुक्त / अधिशाषी अधिकारी,  
नगर निगम / परिषद् / पालिका,  
समस्त राजस्थान।

**विषय:— DAY-NULM के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों से कपड़े के फेस मास्क बनवाये जाने बाबत्।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा घरों में निर्मित कपड़े के फेस मास्क / कवर का उपयोग COVID-19 से बचाव में कारगर मानते हुए उपयोग करने हेतु मंजूरी दी है। इसमें सभी आयुक्त / अधिशाषी अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी नगरीय निकाय में DAY-NULM के अन्तर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों (SHG) की महिलाओं से फेस मास्क / कवर तैयार करावें। फेस मास्क / कवर की दर कपड़े की गुणवत्ता एवं लागत के आधार पर निर्धारित करें।

उक्त कपड़े के फेस मास्क / कवर नगर निकाय में कार्यरत अधिकारियों, संविदा कर्मियों तथा सफाई (स्वच्छता) से जुड़े कर्मियों इत्यादि को COVID-19 से बचाव हेतु वितरित करावें।

*245*  
(उज्जवल राठौड़)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक:—SPL-1

दिनांक:—09.04.2020

- 1- विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
- 2- निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 4- अतिरिक्त निदेशक एवं संयुक्त सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
- 5- उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
- 6- सुरक्षित पत्रावली।

*245*  
(उज्जवल राठौड़)  
निदेशक एवं संयुक्त सचिव